संख्या 12011/07/(i)/2011-स्थापना(भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

दिनांक: 21.02.2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: बाल शिक्षा भत्ता-स्पष्टीकरण ।

....

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 2 सितम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/03/2008-स्था.(भत्ता) एवं समय-समय पर उक्त विषय पर जारी अनुवर्ती स्पष्टीकरणों का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं । विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा उठाई गई शंकाओं पर स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	संदर्भ/शंकाओं के बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	दिनांक 2/9/2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1(ङ) के अनुसार 'शुल्क' का क्या अर्थ है ? क्या अन्य संस्थानों में पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए अन्य संस्थान को दिये गये शुल्क एवं स्कूल बैग, पेन/पेंसिल इत्यादि की प्रतिपूर्ति की अनुमति इसमें है ? क्या मदवार कोई उच्चतम सीमा है ?	'शुल्क' का अर्थ होगा दिनांक 02/09/2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1(ङ) में उल्लिखित मदों के लिए माता-पिता/अभिभावकों द्वारा सीधे उस स्कूल को भुगतान किया गया शुल्क जिसमें बच्चा अध्ययन कर रहा है । स्कूल बैग, पेन/पेंसिल इत्यादि की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती । मदवार कोई उच्चतम सीमा नहीं है ।
2.	यदि मूल रसीदें खो गई हों और सरकारी कर्मचारी द्वारा रसीद की दूसरी प्रतियां दी गई हों तो क्या प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है ?	यदि सरकारी सेवक, स्कूल प्राधिकारियों से विधिवत अभिप्रमाणित रसीद की दूसरी प्रति माता-पिता/अभिभावकों से प्राप्त किए शुल्क की रसीद खो जाने पर प्रस्तुत करता है तो प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है । स्कूल के अलावा प्राइवेट पार्टियों से प्राप्त रसीद खो जाने पर रसीद की दूसरी प्रति प्रस्तुत की जाने पर प्रतिपूर्ति करने पर विचार नहीं किया जाएगा । स्कूल प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई मूल रसीदों को स्कूल प्राधिकरणों द्वारा साक्ष्यांकन/प्रति हस्ताक्षर/रबर स्टैम्प करने की आवश्यकता नहीं है ।
3.	क्या सरकारी कर्मचारी को कुल राशि का 50 प्रतिशत प्रथम तिमाही में वार्षिक उच्चतम सीमा के अध्यधीन एवं शेष तृतीय एवं चौथी तिमाही में अध्यधीन प्राप्त करने की अनुमति होगी ?	हकदारी राशि के 50 प्रतिशत शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति शैक्षिक वर्ष के प्रथम एवं/या द्वितीय तिमाही में है एवं शेष राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमति तृतीय एवं/या चौथी तिमाही में दी जा सकती है । तथापि पूरी हकदारी राशि की प्रतिपूर्ति अंतिम तिमाही में हो सकती है ।
4.	यह प्रावधान है कि जब मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ता है, तो बाल शिक्षा भत्ता 25 प्रतिशत बढ़ेगा । ऐसी बृद्धि के प्रभावी होने की तिथि क्या होगी ?	50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने पर प्रति वर्ष प्रतिपूर्ति की सीमा में किसी प्रकार की वृद्धि तिमाही में वास्तविक व्यय के अध्यधीन, मंहगाई भत्ता बढ़ने की तिथि से यथानुपात लागू होगी ।

विभा

(विभा गोविल मिश्रा)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।